



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102021-230139
CG-DL-E-04102021-230139

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 575]
No. 575]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 4, 2021/आश्विन 12, 1943
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 4, 2021/ASVINA 12, 1943

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2021

सा.का.नि. 717(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनिज रियायत नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(vii) “खान का परिचालन” से पट्टा क्षेत्र के खनिजीकृत जोन से विस्फोटन, उत्खनन, कर्तन या खुरचन के पश्चात् प्राप्त अपनी प्राकृतिक अवस्था में कच्ची, अप्रसंस्कृत या असम्मिलित सामग्री अभिप्रेत है;”

3. मूल नियमों में नियम 24ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“24ग. सरकारी कंपनियों या निगमों को प्रदान किए गए खनन पट्टे की अवधि.—

(1) खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् कोयले या लिग्नाइट के लिए सरकारी कंपनी या निगम को प्रदान किए गए सभी खनन पट्टे 50 वर्ष की अवधि के लिए होंगे।

(2) खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 के प्रारंभ से पूर्व कोयले या लिग्नाइट के लिए किसी सरकारी कंपनी या निगम में निहित या उसे प्रदत्त सभी विद्यमान खनन पट्टे 50 वर्ष के लिए या 31 मार्च, 2030 तक, इनमें से जो भी पश्चात्तर्वर्ती हो, प्रदत्त किए गए समझे जाएंगे।

(3) राज्य सरकार, इस संबंध में खनन पट्टे के अवसान से कम से कम तीन मास पूर्व किसी सरकारी कंपनी या निगम द्वारा किए गए आवेदन पर खनिज पट्टे को एक समय में बीस वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाएगी:

परंतु राज्य सरकार विहित समय सीमा के पश्चात् विस्तार के लिए आवेदन में देरी को माफ कर सकेगी:

परंतु यह और कि किसी सरकारी कंपनी या निगम को खनन पट्टे के अवधि का विस्तार नहीं प्रदान किया जाएगा जो निविदा के माध्यम से चयनित की गई है।

(4) यदि राज्य सरकार द्वारा उपनियम (3) में उल्लिखित समय के भीतर खनन पट्टे के विस्तार के लिए किया गया कोई आवेदन पट्टे के अवसान की तारीख से पूर्व निपटाया नहीं जाता है, तो उस पट्टे की अवधि उस पर राज्य सरकार द्वारा आदेश पारित किए जाने तक विस्तृत हुई समझी जाएगी।

(5) सरकारी कंपनी या निगम द्वारा खनन पट्टे के नवीकरण के लिए किए गए सभी आवेदन जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का 16) के आरंभ की तारीख पर लंबित थे, खनन पट्टे की अवधि के विस्तार के लिए आवेदन समझे जाएंगे और उपनियम (3) के उपबंधों के अनुसार निपटाए जाएंगे।”।

4. मूल नियमों के नियम 27 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

“27क. आवद्ध खान के पट्टाधारी द्वारा कोयले या लिग्नाइट के विक्रय की रीति.—(1) कोई पट्टाधारी जहां आवद्ध प्रयोजन के लिए कोयले या लिग्नाइट का उपयोग किया जाता है, खान से संबद्ध एंड-यूज संयंत्र की अपेक्षाओं को पूरा करने के पश्चात् किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित कोयले या लिग्नाइट की धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन यथा अनुज्ञात कुल मात्रा के ऐसे प्रतिशत तक कोयला या लिग्नाइट विक्रय कर सकेगा।

स्पष्टीकरण 1.—इस नियम के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी वित्तीय वर्ष के लिए खान के संबद्ध एंड-यूज संयंत्र की अपेक्षा उस वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग में उक्त संयंत्र द्वारा उपभोग किए गए कोयले या लिग्नाइट की वास्तविक मात्रा होगी।

स्पष्टीकरण 2.—इस नियम के प्रयोजन के लिए उत्पादित, वितरित, एंड-यूज संयंत्र से संबद्ध उपयोग किए गए कोयले या लिग्नाइट की मात्रा और वितरित मात्रा पर अतिरिक्त रकम के संदाय का निर्धारण खान के परिचालन आधार पर किया जाएगा

स्पष्टीकरण 3.—अपशिष्ट, अग्राह्य या मिडलिंग का विक्रय इस नियम द्वारा निर्बंधित नहीं होगा।

(2) धारा 8 की उपधारा (5) के अनुसार विक्रीत कोयले या लिग्नाइट की मात्रा के लिए पट्टाधारी, राज्य सरकार को स्वामिस्व का संदाय करते समय अधिनियम की छठी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त रकम का संदाय करेगा, जो जिला खनिज फाउंडेशन और राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास को स्वामिस्व या संदाय अन्य कानूनी संदाय या निविदा दस्तावेज अथवा नीलामी प्रीमियम में विनिर्दिष्ट संदाय, जहां कहीं लागू हो, के अतिरिक्त होगा।

(3) पट्टाधारी पूर्व वित्तीय वर्ष में किए गए विक्रय के लिए किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय, कोयला नियंत्रण संगठन और राज्य सरकार को प्ररूप द में स्वघोषणा प्रस्तुत करेगा।

(4) किसी कंपनी या निगम को आवंटित कोयले की खानों से कोयले का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा, जिन्हें टैरिफ के लिए प्रतियोगिता बोली के आधार पर शक्ति परियोजना (जिसके अंतर्गत अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट भी हैं) प्रदान किए गए हैं।”

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नियम में यथा विनिर्दिष्ट कोयले या लिग्नाइट के विक्रय के लिए उपबंध केन्द्रीय सरकार के साथ पट्टाधारी द्वारा किए गए संबंधित करार में विहित पात्रता शर्तों और कार्य कुशलता प्राचलों को प्रभावित नहीं करेंगे।

5. मूल नियमों के नियम 28 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"28. पट्टों का व्यपगमन.—(1) जहां खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष के भीतर उत्पादन और प्रेषण प्रारंभ नहीं हुआ हो या उत्पादन या प्रेषण प्रारंभ होने के पश्चात् दो वर्ष की सतत अवधि के लिए समाप्त हो गया हो, खनन पट्टा यथा स्थिति पट्टे के निष्पादन की तारीख से या उत्पादन और प्रेषण की समाप्ति से दो वर्ष की अवधि के अवसान पर व्यपगत हो जाएगा।

(2) खनन पट्टे का व्यपगमन राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के माध्यम से अभिलिखित किया जाएगा और पट्टाधारी को भी संसूचित किया जाएगा।

(3) जहां पट्टाधारी खनन अनुज्ञप्ति के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर उत्पादन और प्रेषण प्रारंभ करने में असमर्थ है या उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों से उत्पादन और प्रेषण समाप्त हो जाता है, वह राज्य सरकार को उक्त दो वर्ष की अवधि के अवसान से कम से कम तीन मास पहले उसका कारण दर्शित करते हुए ऐसी दो वर्ष की अवधि को एक वर्ष से अनधिक की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ाने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा:

परंतु जहां पट्टाधारी उपरोक्त नियत समय के भीतर आवेदन करने में असफल रहता है वहां दो वर्ष की समाप्ति पर पट्टा व्यपगत हो जाएगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन किए गए आवेदन में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा—

(क) वह कारण, जिनसे पट्टाधारी के लिए खनन संक्रियाएं करने या उत्पादन और प्रेषण को जारी रखना असंभव हो गया;

(ख) वह रीति जिसमें ऐसे कारण पट्टाधारी के नियंत्रण के बाहर हैं;

(ग) वह कदम जो पट्टाधारी द्वारा ऐसे कारणों के प्रभाव को कम करने के लिए उठाए गए हैं; और

(घ) चाहे गए विस्तार की अवधि।

(5) उपनियम (3) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ दो सौ रुपए की फीस संलग्न होगी।

(6) राज्य सरकार, आवेदन की परीक्षा करने के पश्चात्, उपधारा (3) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से या उस तारीख से, जिसको खनिज पट्टा अन्यथा व्यपगत हो जाएगा, इनमें से जो भी पहले हो, से तीन मास की अवधि के भीतर ऐसा अनुरोध को स्वीकार करते हुए या खारिज करते हुए कोई आदेश पारित करेगी:

परंतु ऐसा खनिज पट्टा उत्पादन और प्रेषण करने में विफल होने पर या एक वर्ष के लिए बढ़ाई गए अवधि के भीतर उत्पादन और प्रेषण जारी रखने में असक्षमता पर व्यपगत हो जाएगा:

परंतु यह और कि ऐसा विस्तार पूरी पट्टा अवधि के दौरान एक बार से अधिक नहीं प्रदान की जाएगी।

(7) राज्य सरकार ऐसा आदेश अभिलिखित करने या जारी करने के पंद्रह दिन के भीतर उपनियम (2) के अधीन अभिलिखित या उपनियम (6) के अधीन जारी आदेश कोयला नियंत्रण संगठन, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और कोयला मंत्रालय को संसूचित करेगी।"

6. मूल नियमों के नियम 28क का लोप किया जाएगा।

7. मूल नियमों के नियम 64ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"64ख प्रसंस्करण के अधीन रहते हुए खनिजों के मामले में रायल्टी के संदाय भुगतान करना और भारित करना- पट्टा क्षेत्र के भीतर या बाहर इसके प्रसंस्करण को विचार में लाए बिना अप्रसाधित अयस्क खनिजकोयला या लिग्नाइट पर रायल्टी, भारित की जाएगी:

परंतु रायल्टी पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के भीतर से प्रेषण या उपभोग के समय देय होगी।"

8. मूल नियमों में, नियम 64ग का लोप किया जाएगा।

9. मूल नियमों में, अनुमूची I में, प्ररूप थ के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

6. उत्पादन-शून्य उत्पादन में घटने बढ़ने का कारण दें, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में।

क)

ख).....

7. पूर्व खान मूल्य वार श्रेणी में घटने बढ़ने का कारण दें, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में।

क)

ख).....

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

पूरा नाम

पदनाम: स्वामी /अधिकर्ता /खान इंजीनियर/प्रबंधक"

[फा. सं. 12012/2/2021-पी एस 1]

वी.पी. पति, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम दिनांक 23 नवंबर, 1960 की संख्या जी.एस.आर. 1398 के माध्यम से भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए थे और दिनांक 29 मई, 2020 की संख्या जी.एस.आर. 331(अ) के जरिए अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

स्पष्टीकारक ज्ञापन :

केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का 16) के माध्यम से अंतःस्थापित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 8 की उपधारा (4) को तदनुसार विद्यमान खान के पट्टों की अवधि को विहित करने के लिए सरकारी कंपनी या निगम के मामलों में खान के पट्टों की अवधि को विस्तार करने के लिए सशक्त करती है, विद्यमान पट्टों की अवधि को नियम 24ग की उपधारा (2) में विहित किया गया है और खान के पट्टों के नवीकरण के लिए लंबित आवेदनों को नियम 24ग के उपनियम (5) में खान के पट्टों की अवधि के विस्तार के लिए किया गया आवेदन समझा जाएगा। यह प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के माध्यम से भूतलक्षी प्रभाव देने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2021

G.S.R. 717(E).—In exercise of powers conferred by Section 13 of the Mines and Minerals Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules they shall come into force on the date of their publication in Gazette of India.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960, (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, in sub-rule (1), after clause (vii), the following clause shall be inserted, namely:-

“(viiia) “run-of-mine” means the raw, unprocessed or uncrushed material in its natural state obtained after blasting, digging, cutting or scraping from the mineralised zone of a lease area;”.

3. In the principal rules, after rule 24B the following rule shall be inserted, namely:-

“24C. Period of mining lease granted to Government companies or corporations.—

- (1) All mining leases granted on or after the commencement of the Mineral Concession (Amendment) Rules, 2021 to a Government company or corporation for coal or lignite shall be for a period of fifty years.
- (2) All subsisting mining leases vested or granted to a Government company or corporation before commencement of the Mineral Concession (Amendment) Rules, 2021 for coal or lignite shall be deemed to have been granted for fifty years or till 31st March 2030, whichever is later.
- (3) The State Government, upon an application made to it in this behalf by the Government company or corporation at least three months prior to the expiry of the mining lease, shall extend the period of the mining lease for a further period of twenty years at a time:
Provided that the State Government may condone the delay in application for extension made after the prescribed time limit:
Provided further that no extension of period of mining lease shall be granted to a Government company or corporation that has been selected through auction.
- (4) If an application for extension of mining lease made within the time mentioned in sub-rule (3) is not disposed of by the State Government before the date of expiry of the lease, the period of that lease shall be deemed to have been extended till the State Government passes an order on the same.
- (5) All applications made by a Government company or corporation for renewal of mining lease which were pending as on the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021 (16 of 2021) shall be deemed to be applications for extension of the period of the mining lease and shall be disposed of in accordance with the provisions of sub-rule (3).”

4. In the principal rules, after rule 27, the following rule shall be inserted, namely:-

“27A. Manner of sale of coal or lignite by the lessee of a captive mine.— (1) Any lessee may, where coal or lignite is used for captive purpose, sell coal or lignite up to such per cent. of the total coal or lignite produced in a financial year, as allowed under sub-section (5) of section 8, after meeting the requirement of the end use plant linked with the mine.

Explanation 1.- For the purpose of this rule it is clarified that the requirement of the end use plant linked with the mine for a financial year shall be the actual quantity of coal or lignite consumed in the said plant in that financial year or a part thereof.

Explanation 2.- For the purpose of this rule, quantity of coal or lignite produced, sold, utilised in linked end-use plant and the payment of additional amount on the quantity sold shall be assessed on run-of-mine basis.

Explanation 3.- Sale of any tailings, rejects or middlings shall not be restricted by this rule.

(2) For the quantity of coal or lignite sold in accordance with sub-section (5) of section 8, the lessee shall pay to the State Government, at the time of payment of royalty, an additional amount as specified in the Sixth Schedule of the Act, which shall be in addition to royalty or payment to the District Mineral Foundation and National Mineral Exploration Trust or any other statutory payment or payment specified in the tender document or the auction premium, wherever applicable.

(3) Within one month of the end of a financial year, for sale made in the previous financial year, the lessee shall submit to the Nominated Authority, Ministry of Coal, Coal Controller's Organisation and to the State Government, a self-declaration in Form R.

(4) Sale of coal shall not be allowed from the coal mines allotted to a company or corporation that has been awarded a power project on the basis of competitive bid for tariff (including Ultra Mega Power Projects).”

Explanation.-For the purpose of this rule, it is clarified that the provision for sale of coal or lignite as prescribed in this rule shall not affect the eligibility conditions and efficiency parameters prescribed in the respective agreements entered into by the lessee with the Central Government.

5. In the principal rules, for rule 28, the following rule shall be substituted, namely:-

“28. Lapsing of Leases.— (1) Where production and dispatch has not commenced within a period of two years from the date of execution of the mining lease or is discontinued for a continuous period of two years after commencement of production or dispatch, the mining lease shall lapse on the expiry of the period of two years from the date of execution of the lease or as the case may be, discontinuance of the production and dispatch.

(2) The lapsing of the mining lease shall be recorded through an order issued by the State Government and shall also be communicated to the lessee.

(3) Where a lessee is unable to commence the production and dispatch within a period of two years from the date of execution of the mining lease or discontinuation of production and dispatch for reasons beyond his control, he may submit an application to the State Government, requesting for an extension of such period of two years by a further period not exceeding one year, explaining the reasons for the same, at least three months before the expiry of such period of two years:

Provided where the lessee has failed to make the application within the time stipulated above, the lease shall lapse on expiry of the period of two years.

(4) Application made under sub-rule (3) shall specify—

- (a) the reasons on account of which it will not be possible for the lessee to undertake mining operations or continue production and dispatch;
- (b) the manner in which such reasons are beyond the control of the lessee;
- (c) the steps that have been taken by the lessee to mitigate the impact of such reasons; and
- (d) the period of extension sought.

(5) Every application under sub-rule (3) shall be accompanied by a fee of two hundred rupees.

(6) The State Government shall, after examining the application, pass an order, within a period of three months from the date of receipt of the application made under sub-rule (3) or the date on which the mining lease would have otherwise lapsed, whichever is earlier, either granting or rejecting such request:

Provided that such mining lease shall lapse on failure to undertake production and dispatch or inability to continue production and dispatch within the extended period of one year:

Provided further that such extension shall not be granted for more than once during the entire period of lease.

(7) The State Government shall communicate to the Coal Controller's Organisation, Nominated Authority and Ministry of Coal the order recorded under sub-rule (2) or issued under sub-rule (6) within fifteen days of recording or issuing of such order.”

6. In the principal rules, rule 28A shall be omitted.

7. In the principal rules, for rule 64B, the following rule shall be substituted, namely:-

“64B. Charging and instance of payment of royalty in case of minerals subjected to processing.— The royalty shall be charged on run-of-mine coal or lignite irrespective of its processing within or outside the leased area:

Provided that the royalty shall be payable at the time of dispatch from or consumption within the leased area.”

8. In the principal rules, rule 64C shall be omitted.

9. In the principal rules, in Schedule I, after Form Q, the following Form shall be inserted, namely:-